FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

बैंक ऑफ बड़ौदा, सवाई माधोपुर शाखा सिटी, बजरंग भवन, आदर्श स्कूल के पास, सवाई माधोपुर जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री छीतरमल बैरवा — प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स माधोसिंह एण्ड कम्पनी, अनाज मण्डी, शक्ति मार्केट, अलानपुर रोड, सवाई माधोपुर जरिये प्रोप्राईटर श्री माधोसिंह गुर्जर पुत्र श्री शिवलीराम गुर्जर — ऋणी
2. श्री माधोसिंह गुर्जर पुत्र श्री शिवलीराम गुर्जर, निवासी किशन नगर, कर्मचारी कॉलोनी, हिण्डौनसिटी जिला करौली — ऋणी
3. श्री कंवर सिंह पुत्र स्व. श्री शिवलीराम गुर्जर, निवासी 206, किशन नगर, कर्मचारी कॉलोनी, हिण्डौनसिटी जिला करौली (फौत) — जमानती

   3/1 श्रीमती केशंती पत्नि स्व. श्री कंवर सिंह निवासी 206, किशन नगर, कर्मचारी कॉलोनी, हिण्डौनसिटी जिला करौली

   3/2 श्री जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री कंवर सिंह निवासी 206, किशन नगर, कर्मचारी कॉलोनी, हिण्डौनसिटी जिला करौली

मु.नं.—14 / 2020 कि.मु.—अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु—31.08.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.08.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी ने दिनांक 27.01.2015 व 22.02.2018 को प्रार्थी बैंक से राशि 33,30,000.00 रूपये की बीटीएल (ओवरड्राफ्ट) ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी ने जमानती के नाम से स्टेशन रोड, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में स्थित अचल सम्पत्ति (1) व्यावसायिक दुकान खसरा नं. 2433/6180, प्लाट नं. 30, क्षेत्रफल लगभग 22.22 वर्गगज (20'X10') है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं— पूर्व—रास्ता, पश्चिम प्लाट नं. 47, उत्तर—प्लाट नं. 31, दक्षिण—प्लॉट नं. 29 स्थित है, तथा (1) व्यावसायिक दुकान खसरा नं. 6180/6183, प्लाट नं. 47, क्षेत्रफल लगभग 22.22 वर्गगज (20'X10') है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं— पूर्व—स्वयं की दुकान, पश्चिम—रास्ता, उत्तर—स्वयं की दुकान, दक्षिण—महेश की दुकान स्थित है, जिनमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खाता को दिनांक 30.11.2019 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.01.2020 तक राशि 35,35,309.96 (पैंतीस लाख, पैंतीस हजार, तीन सौ नौ रुपये छियानवे पैसे मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणीपर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 25.02.2020 को ऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदा नहीं की गई है। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:44:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.11.2019 को व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 31.01.2020 तक शेष राशि 35,35,309.96 (पैंतीस लाख, पैंतीस हजार, तीन सौ नौ रुपये छियानवे पैसे मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणीपर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वज्ञरा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति जमानती के नाम से स्टेशन रोड, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में स्थित (1) व्यावसायिक दुकान खसरा नं. 2433/6180, प्लाट नं. 30, क्षेत्रफल लगभग 22.22 वर्गगज (20'X10') है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं– पूर्व–रास्ता, पश्चिम प्लाट नं. 47, उत्तर–प्लाट नं. 31, दक्षिण–प्लॉट नं. 29 स्थित है, तथा (1) व्यावसायिक दुकान खसरा नं. 6180/6183, प्लाट नं. 47, क्षेत्रफल लगभग 22.22 वर्गगज (20'X10') है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं– पूर्व–स्वयं की दुकान, पश्चिम–रास्ता, उत्तर–स्वयं की दुकान, दक्षिण–महेश की दुकान स्थित है, जिनमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक करौली को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत् पुलिस अधीक्षक, करौली से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार हिण्डौन को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक करौली व तहसीलदार हिण्डौन को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थी को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थी को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:44:19 IST
Reason: SelfAttested